



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]
No. 87]

नई दिल्ली, सोमवार, चैत्र 18, 1983/चैत्र 28, 1905
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 1983/CHAITRA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं०-12-आईटीसी (पीएन)/83

नई दिल्ली 18 अप्रैल, 1983

विषय: 1983-84 के लिए आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक।

मिस्त्र सं० आई टी सी (हैंड बुक) अध्याय 1/83-84—वाणिज्य मंत्रालय
की सार्वजनिक सूचना सं० 11-आईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 15 अप्रैल, 1983
के अधीन प्रकाशित आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक, 1983-84 की ओर
ध्यान दिलाया जाता है।

2. निम्नलिखित बुद्धियाँ उक्त पुस्तक में नीचे संकेतित उचित स्थानों पर
की गई समझी जाएं:—

क्र०	आयात- सं० निर्यात क्रिया- विधि पुस्तक 1983-84 की पृष्ठ सं०	संदर्भ	बुद्धियाँ
1	2	3	4
1	135	परिशिष्ट 6 श्रेणी (ख)	कालम 2 में (1) से (4) तक के प्राध- धान के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— टिप्पणी: विकलांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन

1 2 3 4

की गई या बनाई गई मोटरकार
और ऐसे विकलांग व्यक्तियों द्वारा
घरने उपयोग के लिए आयातित
मोटरकार पर सीमाशुल्क कर से
राहत देने से सम्बद्ध प्रावधान के
अधीन जहाँ आयातक को राजस्व
विभाग, नई दिल्ली द्वारा सीमाशुल्क
कर से राहत की अनुमति हो, वहाँ
बाह्य की निकासी के लिए किसी भी
आयात लाइसेंस या सीमाशुल्क
निकासी परमिट की आवश्यकता
नहीं होगी। आयातक की सीमाशुल्क
प्राधिकारियों को सीमा शुल्क कर से
राहत के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए।
आयात उन्हीं शर्तों के अधीन होगा
जिनके अधीन सीमा शुल्क कर से
राहत दी गई है।

2	142	परिशिष्ट-8	नीचे दिए गए के अनुसार यह चिह्न "I" जोड़ा जाएगा:— (1) क्र०सं० (11) में "संयुक्त" शब्द के बाद (2) क्र०सं० (16) में "उप" शब्द के बाद
		लाइसेंस प्राधि- कारियों की सूची/ कालम 2 क्रम सं० (2), (16) और 19	

1	2	3	4	1	2	3	4
			(3) कंसं (19) में "ज" शब्द के बाद				"Note : No import licence of CP will be necessary for clearance of a vehicle by physically handicapped person, where the importer has been allowed customs duty relief by the Deptt. of Revenue, New Delhi, on the vehicle in question, under the provisions pertaining to the grant of relief from Customs duty on motor cars specially designed or adapted for use by disabled persons and imported by such disabled persons for their own use. The importer shall produce evidence of customs duty relief to the Customs. The import shall be subject to the same conditions on which duty relief has been given".
3	176	परिशिष्ट-II प्रपत्र क	(1) शीषणा 4 (1) "30(ब)" के लिए की अंतिम पंक्ति "29(ब)" पढ़ें। (2) शीषणा (5) (2) "30(ग)" के लिए की द्वितीय पंक्ति "29(ग)" पढ़ें।				

रोमा मजुमदार
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

PUBLIC NOTICE NO. 12-ITC (PN)/83

New Delhi, the 18th April, 1983

SUBJECT : Hand Book of Import-Export Procedures, 1983-84.

File No. ITC (HB)CH. I/83-84.—Attention is invited to the Hand Book of Import-Export Procedures, 1983-84 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 11-ITC (PN)/83 dated the 15th April, 1983.

2. The following errata shall be deemed to have been made in the said Hand Book at appropriate places indicated below :—

S. No.	Page No.	of Hand Book of Import-Export Procedures, 1983-84	Reference	Errata
--------	----------	---	-----------	--------

1	2	3	4
1.	135	App. 6 Category (F)	The following shall be added at the end of the existing provisions (i) to (iv) in Col. 2 :—

2. 142 App. 8
List of Licensing Authorities.
Column 2
S.Nos. (11), (16) and (19)
- The sign "/" shall be inserted as indicated below :—
(i) In Sl. No. (11), after the word "Joint".
(ii) In Sl. No. (16), after the word "Deputy".
(iii) In Sl. No. (19), after the word "Deputy".
3. 176 App. 11
Form A
- (i) Declaration (i) Read "29(d)" for "30(d)".
(4) last line.
(ii) Declaration (ii) Read "29(c)" for "30(c)".
(5) Second line

ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports and Exports